संख्या-24/2016 /एस-3- 460/दस-2016-ब(8)/2016

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
24/3-4 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर , 2016

विषय:- नये प्रशासनिक भवन में 02 कम्प्यूटर लैब के लिए कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- क्रय/66/2008/क0प्रति0/744 दिनांक 30-08-2016 एवं पत्र संख्या- क्रय/66/2008/क0प्रति0/916 दिनांक 26-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में सेन्ट्रल सर्वर आधारित कोषागारीय कार्य यथा कार्य एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था (Integrated Financial Management System) के अन्तर्गत आनलाईन बिल जनरेशन, पासिंग, ई-पेमेन्ट, ई-राजकोष, ई-पेंशन, NPS, आनलाईन पेंशनर्स वेरिफिकेशन, FMIS आदि हेतु प्रशिक्षण की आवश्यक्ता एवं भविष्य में प्रस्तावित CCL/DCL, PLA, खाद्य विभाग आदि का ई-पेमेन्ट, ई-कुबेर से कोषागारों की कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी (यू0टी0एम0आधारित), आदि के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण कई सत्रों में दिये जाने हेतु प्रस्तावित उ0प्र0 डेवलेपमेंट सिस्टम कारपोरेशन (UPDESCO) से 60 अदद कम्प्यूटर सिस्टम, 60 अदद एम0एस0आफिस साफ्टवेयर , 01 अदद यू0टी0एम0, 02 अदद नेटवर्क प्रिन्टर तथा अपट्रान पावरट्रॉनिक्स लि0 (UPTRON Powertronice Ltd.) से 02 आनलाइन यू0पी0एस0 कोटेशन के आधार पर न्यूनतम दर पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से श्री राज्यपाल महोदय धनराशि 40,43,050/-(रूपये चालीस लाख तैतालिस हजार पचास मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृति धनराशि नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बचतों की स्थिति में अवशेष धनराशि राजकोष में समर्पित की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत कार्य पर किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार समयान्तर्गत कराया जायेगा तथा इसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(4) उपयोगिता प्रमाण- पत्र शासन को निदेशक ,कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) यदि प्रश्नगत कार्य नहीं कराया जाता हैं तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुए सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में तुरन्त जमा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-''2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003 प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण के मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

संख्या- 24/2016/एस-3-460(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1
4- उ0प्र0, डेवलेपमेंट सिस्टम, कार्पोरेशन लि0-03, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5- अपट्रान पावरट्रॉनिक्स लि0।
6- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।